प्रैस की सूचना के लिए नोट (प्रैस विज्ञप्ति सं 12/ 2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकार दिये जाने के नियमों और शर्तों पर अनुशंसाएं' जारी कीं।

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकार के नियमों और शर्तों पर अनुशंसाएं' जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 26.07.2024 के एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया था कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 को दिसंबर 2023 में भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 3(1)(बी) में यह प्रावधान है कि दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, रखरखाव करने या विस्तार करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति शुल्क या प्रभार सहित ऐसे नियम और शर्ते, जो कि निर्धारित की जा सकती हैं, के अधीन प्राधिकार प्राप्त कर सकता है। दिनांक 26.07.2024 के पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया था कि वह भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) में वर्णित प्रावधानों जैसे-दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, रखरखाव करने या विस्तार करने हेतु शुल्क या प्रभार सहित नियमों और शर्तों पर प्राधिकार दिये जाने के लिए अपनी अनुशंसाए प्रदान करें। इसके अलावा डीओटी (दूरसंचार विभाग) ने दिनांक 17.10.2024 के अपने परिशिष्ट (अडेंडम) पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से यह भी अनुरोध किया कि वह दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत सैटेलाईट कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए प्राधिकार दिये जाने पर विचार करे ।

3. इस संबंध में भादूविप्रा ने 22.10.2024 को **'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क के प्राधिकारों के नियम और शर्तो' पर एक परामर्श पत्र** जारी किया, जिसमें इस मामले से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ मांगी गईं। टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 12.11.2024 और 19.11.2024 थीं। हालाँकि कुछ हितधारकों के अनुरोध पर लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 19.11.2024 और 26.11.2024 तक बढ़ा दी गईं।

4. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के उत्तर में 32 हितधारकों ने टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं, और 11 हितधारकों ने अपनी प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भादूविप्रा ने 17.12.2024 को वर्चुअल मोड में एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की।

5. परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने **दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकार के नियमों और शर्तों पर अनुशसाओं को** अंतिम रूप दिया है। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और व्यापार करने में आसानी बढ़ाना है। इन अनुशंसाओं के माध्यम से प्राधिकरण ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले विभिन्न नेटवर्क प्राधिकार दिये जाने के लिए विस्तृत नियमों और शर्तों के अलावा एक नेटवर्क ऑथराईजेशन फ्रेमवर्क की संस्तुति की है। इन अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

(ए) केंद्र सरकार को इकाईयों (एंटिटी) के साथ करार करने के बजाय दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत नेटवर्क प्राधिकार देना चाहिए।

(बी) प्रत्येक नेटवर्क प्राधिकार के लिए विस्तृत नियम और शर्तें दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत अधिसूचित नियमों के माध्यम से निर्धारित की जानी चाहिए।

(सी) इन अनुशंसाओं से उत्पन्न होने वाले नेटवर्क ऑथराईजेशनों के नियमों और शर्तों में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के कारण को छोड़कर, केंद्र सरकार को भादूविप्रा की संस्तुतियॉ मांगनी चाहिए।

(डी) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत नियमों को निम्नांकित तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए:

(i) दूरसंचार (नेटवर्क प्राधिकार दिया जाना) नियम; और

(ii) प्रत्येक नेटवर्क प्राधिकार के लिए अलग नियम।

(ई) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रत्येक नेटवर्क प्राधिकार एक प्राधितीकृत डाक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए, जिसमें नेटवर्क प्राधिकार के आवश्यक तत्व शामिल हों।

(एफ) <u>इंफ्रास्टक्चर प्रोवाईडर (आईपी) प्राधिकार:</u>

(i) केंद्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत इंफ्रास्टक्चर प्रोवाईडर (आईपी) ऑथराईजेशन लाना चाहिए।

(ii) डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस और टावरों की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने का इरादा रखने वाली किसी भी इकाई को केंद्र सरकार से आईपी प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए।

(iii) आईपी प्राधिकार का मुख्य दायरा: दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत अधिकृत इकाईयों को डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस, टावर और इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) प्रदान करना

(जी) <u>डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर (डीसीआईपी) प्राधिकार</u>:

(i) केंद्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर (डीसीआईपी) प्राधिकार लाना चाहिए।

(ii) वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), ट्रांसमिशन लिंक और वाई-फाई सिस्टम की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने की इच्छुक इकाई को केंद्र सरकार से डीसीआईपी प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए।

(iii) डीसीआईपी प्राधिकार का मुख्य दायरा: डीसीआईपी अधिकृत संस्थाएं दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत अधिकृत इकाईयों को वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), ट्रांसमिशन लिंक, वाई-फाई सिस्टम और इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) प्रदान कर सकती हैं। डीसीआईपी अधिकृत संस्थाएं दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत अधिकृत संस्थाओं को डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस और टावर भी प्रदान कर सकती हैं।

(एच) <u>इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस):</u>

संपत्ति प्रबंधक को उसके द्वारा मैनेज की जा रही किसी सिंगल बिल्डिंग, परिसर या एस्टेट की सीमाओं के भीतर इन-बिल्डिंग समाधान (आईबीएस) स्थापित करने, संचालित करने, रखरखाव करने और विस्तार करने की अनुमति होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत केंद्र सरकार से कोई ऑथराईजेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ, "संपत्ति प्रबंधक" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है जो या तो संपत्ति का मालिक है या जिसके पास संपत्ति को नियंत्रित या प्रबंधित करने का कोई कानूनी अधिकार है।

(आई) <u>कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन):</u>

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना, संचालन, रखरखाव और विस्तार के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(3) के तहत प्राधिकार से छूट होनी चाहिए।

(जे) इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) प्राधिकार:

(i) केंद्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) प्राधिकार लाना चाहिए।

(ii) भारत में इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट्स (आईएक्सपी) की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने की इच्छा रखने वाली किसी भी संस्था को केंद्र सरकार से (आईएक्सपी) प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

(iii) आईएक्सपी ऑथराईजेशन का मुख्य दायरा: दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत संस्थाओं और भारत में स्थित कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) प्रदाताओं के बीच भारत में उत्पन्न और नियत इंटरनेट ट्रैफ़िक की पीयरिंग और एक्सचेंज सर्विसेस प्रदान करना।

(के) <u>सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रोवाईडर प्राधिकार</u>

(i) केंद्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रोवाईडर प्राधिकार लाना चाहिए।

(ii) भारत में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने की इच्छा रखने वाली किसी भी इकाई को केंद्र सरकार से एसईएसजी प्रोवाईडर प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) एसईएसजी प्रोवाईडर प्राधिकार का मुख्य दायरा: दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत अधिकृत संस्थाओं को जिन्हें अपनी सेवा के दायरे में उपग्रह मीडिया का उपयोग की अनुमति है अपना एसईएसजी ढांचा प्रदान करना

(एल) <u>सेवा के रुप में ग्राउंड स्टेशन (जीएसएएएस):</u>

निम्नलिखित श्रेणियों के ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना, संचालन, रखरखाव और विस्तार (जैसा कि मई 2024 में इन-स्पेस (IN-SPACe) द्वारा जारी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण (एनजीपी) के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के कार्यान्वयन के लिए मानदंडों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं में परिकल्पित है) को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(3) के अनुसार प्राधिकार से छूट मिलनी चाहिए:

(i) सेटेलाईट कंट्रोल सेंटर (एससीसी)

(ii) टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड (टीटीएंडसी)

(iii) मिशन कंट्रोल सेंटर (एमसीसी)

(iv) रिमोट सेंसिंग डेटा रिसेप्शन स्टेशन

(v) अंतरिक्ष आधारित सेवाओं जैसे स्पेस सिचुएशनल एवायरनैस (एसएसए), खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या नैविगेशन मिशन आदि के संचालन को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड स्टेशन।

(एम) <u>क्लाउड-होस्टेड टेलीकॉम नेटवर्क (सीटीएन) प्राधिकार:</u>

(i) केंद्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत क्लाउड-होस्टेड टेलीकॉम नेटवर्क (सीटीएन) प्रोवाईडर प्राधिकार लाना चाहिए।

(ii) क्लाउड-होस्टेड टेलीकॉम नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने की इच्छा रखने वाली किसी भी इकाई को केंद्र सरकार से सीटीएन प्रोवाईडर प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

(iii) सीटीएन प्राधिकरण का मुख्य दायरा: दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत अधिकृत पात्र इकाईयों को क्लाउड-होस्टेड टेलीकॉम नेटवर्क-ऐज़-ए-सर्विस (सीटीएनएएएस) प्रदान करना

(एन) <u>मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रोवाईडर प्राधिकार:</u>

(i) केंद्र सरकार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्राधिकार लाना चाहिए।

(ii) एमएनपी सर्विस प्रावाईडर प्राधिकार का मुख्य दायरा: दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत इकाईयों को एमएनपी प्रदान करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव और विस्तार; और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत एक्सेस सेवा, एनएलडी सेवा और आईएलडी सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत सभी इकाईयों को स्थान रूटिंग नंबर (एलआरएन) अपडेट का प्रावधान

(iii) दो एमएनपी ज़ोन की वर्तमान नीति व्यवस्था, जिसमें प्रत्येक में 11 अधिकृत सेवा क्षेत्र (दूरसंचार सर्किल/मेट्रो क्षेत्र) शामिल हैं, तथा प्रत्येक एमएनपी ज़ोनों में केवल एक एमएनपी प्रदाता अधिकृत इकाई को वर्तमान में जारी रखा जाना चाहिए। हालाँकि, भविष्य में, केंद्र सरकार, यदि उचित समझे, तो देश में एमएनपी ज़ोनों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, प्रत्येक एमएनपी ज़ोन के भीतर अधिकृत सेवा क्षेत्रों की संरचना में संशोधन कर सकती है, तथा

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक एमएनपी ज़ोन में अधिक एमएनपी प्रदाता अधिकृत इकाईयाँ ला सकती है।

(ओ) भादूविप्रा ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत इंफ्रास्टक्चर कैटेगरी-I (आईपी-I) पंजीकरण और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) लाइसेंस रखने वाली मौजूदा इकाईयों को स्वैच्छिक आधार पर नई नेटवर्क प्राधिकार व्यवस्था में आसानी से स्थानांतरण की अनुमति देने के लिए एक व्यापक ढांचे की अनुशंसाएं भी की है।

(पी) इसके अलावा, भादूविप्रा ने अनुशंसाओं के माध्यम से निम्नांकित विचार व्यक्त किए हैं:

(i) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क प्रोवाईडर (सीएनपीएन) आथराईजेशन लाने की आवश्यकता है, जिसमें उद्यमों के लिए सीएनपीएन नेटवर्क की स्थापना, रखरखाव, संचालन और विस्तार करने का दायरा शामिल है। यदि केंद्र सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है, तो वह इस तरह के ऑथराईजेशन के लिए विस्तृत नियमों और शर्तों पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांग सकती है।

(ii) प्रथम दृष्टया, केबल लैंडिंग स्टेशन (सी एल एस) प्रोवाईडर ऑथराईजेशन लाने की आवश्यकता है जिसका व्यापक दायरा पात्र सेवा अधिकृत इकाईयों को केबल लैडिंग स्टेशन पर आवश्यक सुविधायों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना और केबल लैंडिंग स्टेशन तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने के लिए सह-स्थान प्रदान करना हो। यदि केंद्र सरकार इसे उचित समझती है, तो वह दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत सीएलएस प्रोवाईडर ऑथराईजेशन दिये जाने की आवश्यकता का पता लगाने और उसके तहत नियमों और शर्तों के लिए प्राधिकरण को एक रिफरेंस भेज सकती है।

(क्यू) विभिन्न नेटवर्क ऑथराईजेशनों के लिए निम्नलिखित शुल्कों की सिफारिश की गई है:

क्रम सं	**नेटवर्क प्राधिकार**	**एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस (रु में)**	**एंट्री फीस (रु में)**	**बैंक गारंटी (रु में)**	**प्राधिकार फीस**
1.	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर (आईपी)	10,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

क्रम सं	नेटवर्क प्राधिकार	एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस (रु में)	एंट्री फीस (रु में)	बैंक गारंटी (रु में)	प्राधिकार फीस
2.	डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर (डीसीआईपी)	10,000	10,00,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	इंटरनेट एक्सचेंज प्रोवाईडर (आईएक्सपी)	10,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	सेटेलाईट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रोवाईडर	10,000	10,00,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	क्लाउड होस्टेड टेलीकॉम नेटवर्क (सीटीएन) प्रोवाईडर	10,000	10,00,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रोवाईडर	10,000	50,00,000	40,00,000	समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 1%

6. अनुशंसाओं को भारतीय दूरसंचार प्राधिकारण की वेबसाईट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। इस मामले में किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए भादूविप्रा के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाईसेंसिंग) श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से दूरभाष नंबर 91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-
अतुल कुमार चौधरी
सचिव, भादूविप्रा